



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1948 (श10)

(सं0 पटना 593) पटना, बुधवार, 10 जून 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

17 अप्रील 2026

सं० 02स्था०-122/20-1067/वि0स0—वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3ए-2वे०पु०-16/09-630, दिनांक-21.01.2010 एवं सभा सचिवालय के पत्रांक-300, दिनांक-05.03.2010 तथा वित्त विभाग के पत्रांक-3ए-2वे०पु०-18/09-275, दिनांक-08.01.2015 के अनुसरण में दिनांक-01.01.2006 के पुनरीक्षित वेतनमान में श्री अब्दुस समद, उर्दू अनुवादक, बिहार विधान सभा सचिवालय को संलग्न विवरणी-(i) के अनुसार वेतन का निर्धारण तथा अनुवर्ती तिथियों को अनुमान्य वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत किया जाता है। निर्धारित वेतन का वास्तविक आर्थिक लाभ दिनांक-01.04.2007 से देय होगा एवं अन्य अनुमान्य भत्ते वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प में दिये गये निदेशों के अनुरूप होंगे।

(2) वित्त विभाग के संकल्प सं०-3-ए-2-वे०पु०-18/2009-7566, दिनांक-14.07.2010 एवं सभा सचिवालय की अधिसूचना सं०-1661, दिनांक-10.09.2010 के अनुसरण में रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के तहत श्री अब्दुस समद, उर्दू अनुवादक, बिहार विधान सभा सचिवालय को दिनांक-10.11.2013 से द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ देते हुए वेतन का निर्धारण तथा अनुवर्ती तिथियों को अनुमान्य वार्षिक वेतनवृद्धि की स्वीकृति संलग्न विवरणी-(ii) के अनुसार किया जाता है।

(3) वित्त विभाग के संकल्प सं०-3-ए-2-वे०पु०-09/2016-3590 (वि०), दिनांक-24.05.2017 एवं सभा सचिवालय की अधिसूचना सं०-3630, दिनांक-29.05.2017 के अनुसरण में श्री अब्दुस समद, उर्दू अनुवादक का पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक-01.01.2016 को वेतन का निर्धारण तथा अनुवर्ती तिथि को अनुमान्य वार्षिक वेतनवृद्धि की स्वीकृति संलग्न विवरणी-(iii) के अनुसार की जाती है। निर्धारित वेतन का वास्तविक आर्थिक लाभ दिनांक-01.04.2017 से देय होगा।

(4) वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3ए०-2-वे०पु०-18/09-7566, दिनांक-14.07.2010 एवं सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-1661, दिनांक-10.09.2010 के अनुसरण में रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के तहत श्री अब्दुस समद, उर्दू अनुवादक, बिहार विधान सभा सचिवालय को दिनांक-10.11.2023 से तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ देते हुए वेतन का निर्धारण तथा अनुवर्ती तिथियों को अनुमान्य वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति संलग्न विवरणी-(iv) के अनुसार किया जाता है।

उपर्युक्त वेतन निर्धारण में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एवं कम भुगतान की गयी राशि की प्रतिपूर्ति कर ली/दी जायेगी।

उक्त निर्धारित वेतन का सत्यापन वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा किये जाने के पश्चात् अंतर राशि का भुगतान किया जायेगा।

एतद् विषयक उपर्युक्त के संबंध में पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश/अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझा जाय।

आदेश से,  
पूर्णंदु शेखर दास,  
अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 593-571+10-डी0टी0पी0  
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>